न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 44/2019

शेरसिंह पुत्र डोगरसिंह जाति रायसिख निवासी चक 39 एम.ओ.डी. (खेत में ढाणी) वाया भादवावाली पोस्ट ऑफिस सरदारपुरा बीका तह0सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. नरसी पुत्र रामरख जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. सपठित धारा 75 भू राजस्व अधि. विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 06.11.2018

उपस्थिति—
श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक अपीलांट
श्री राजवीर भादू अभिभाषक रेस्पों. सं. 1
श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक— 28-6-2019

1. प्रकरण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने एक प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) कोलो एक्ट व धारा 251क भू—राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थी ने अपने प्रा.पत्र में अंकित किया कि तहसील सूरतगढ के चक 2 डीओ ए के खाता सं. 27/30 के प.नं. 23/23(24) के कि.नं. 13 में 0.004 है0 व 18 में 0.018है0 व 23 में 0.018है0 रास्ता मंजूर किये जाने का निवेदन किया।

(A) अधी. न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को रजि. नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 16.10.2018 को एक्स पार्टी किया गया।

(B) उपखण्ड अधिकारी ने एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 06.11.2018 को प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर चक 2 डीओ ए के प.नं. 23/23 के कि. नं. 23 में 0.018है0 पश्चिमी पाशा, व 18 में 0.018है0 पश्चिमी पाशा व

13 में 0.004है0 पश्चिमी–दक्षिणी कोने में गै0मु0रास्ता मंजूर किया जाता है व इसके एवज में प्रार्थी का रकबा चक 2 डी.ओ ए के प.नं. 23/23 के कि.नं. 6 में 0.040है0 दक्षिणी पाशा प्रार्थी के नाम से कलमजन कर अप्रार्थी सं. 1 शेरसिंह पुत्र डोगरसिंह जाति रायसिख के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये।

(C) अपीलांट ने उक्त आदेश से व्यथीत होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की। अपील के साथ अपीलांट ने दफा का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुने बिना पारित किया गया है। अपीलांट के नाम से जारी रजि.एडी नोटिस सही पते पर नहीं भेजा गया और एडी पंहुचे बिना ही अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी जोकि सही न्यायिक प्रकिया नहीं है। राजस्थान काश्त.अधि की धारा 251के उपबन्धों को लागू करने के प्रावधान राज.काश्त.अधिनियम सरकारी नियमों के नियम 69 में दिये गये हैं जिनकी पालना किये बिना ही उक्त पारित किया गया। इसके अलावा अपील विलम्ब से पेश करने बाबत अपीलांट ने अपील के साथ दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसमें अपील देरी से पेश करने के समुचित कारण अंकित किये हैं। अतः निवेदन है कि अपीलांट का दफा 5 का प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

(ii) दौरान बहस अपीलांट ने प्रा.पत्र अन्तर्गत आ. 41 नियम. 27 सीपीसी सहित फार्म नं. 3 के साथ निम्न दस्तावेज पेश किये:–

(अ) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को जारी पत्र दिनांक 31.08.07 की फोटो कॉपी।

(ब) नकल जमाबन्दी 2 डी.ओ ए

(स) फोटो कॉपी प्रा.पत्र 136 एल.आर.एक्ट

(द) फोटो प्रति रिपोर्ट पटवारी हल्का भोपालपुरा

(iii) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

(1) आर.आर.टी. 2016 पेज 1281

(2) आर.आर.डी. 2016 पेज 699

(3) आर.आर.डी 2016 पेज नं. 556

(4) आर.आर.टी.2014(1) पेज नं. 40

(5)आर.आर.डी. 2014पेज नं. 406

(6) आर.बी.जे. 2015 पेज नं. 482

(iv) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील 6 माह पश्चात की है जो मियाद बाहर है। पटवारी हल्का का शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया है और न ही रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कोलो0 नियम 8(2) के गै0मु0 रास्ता से ही रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है न की सडक से। अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 का प्रा. पत्र आज दौराने बहस प्रस्तुत किया है जोकि अन्तिम बहस के दौरान प्रस्तुत नहीं कर सकते। सडक से रास्ता लेने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को पार्टी बनाना पडता है लेकिन इनके द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः निवेदन है कि अपील मियाद होने से खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) प्रस्तुत मामलें में यह स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय के निर्णय में कतिपय खामियां है:–

(i) प्रथमतः मामलें में प्रथम पेशी पर ही अपीलांट को जरिये रजि.नोटिस तलब किया गया। तत्पश्चात वादी द्वारा नोटिस रजि. प्रस्तुत नहीं करने पर पुनः हिदायत देकर रजि.नोटिस ही मांगे गये और फिर एक माह पश्चात उक्त नोटिस के 1 माह पश्चात अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा आदेश करते हुए दिनांक 06.11.18 को निर्णय पारित कर दिया गया। रास्ते के मामले गंभीर प्रकृति के विवाद पैदा कर सकते हैं। अतः ऐसे मामलों में कानून की मंशा है कि दोनों पक्षों को पुनः सुनकर ही विहित प्रकिया अनुसार फैसला किया जाए।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

(ii) हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरों से संतुष्ट है कि

(1) राज.काश्त.अधि. 251(क) के तहत प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने में अतिरिक्त सावचेतता बरतनी आवश्यक है।

(2) प्रथमतः 'आत्यंतिक आवश्यकता' के बिन्दु पर न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए नाकि सुविधाजनक तथ्य पर।

(3) पक्षकारों की मौजूदगी में तहसीलदार या गिरदावर से अनिम्न पंक्ति का राजस्व अधिकारी मौके पर जा कर पर्चा मौका व नक्शा तैयार करे। केवल पटवारी की रिपोर्ट पर मात्र अधी. न्यायालय को निर्णय हेतु अग्रसर होने से बचना चाहिए।

यह प्रकिया प्रावधान आज्ञापक श्रेणी के है जिनकी पालना आवश्यक है जो राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 नियम 69 में वर्णित है।

(b) प्रस्तुत मामलें में उक्त आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गयी, ना ही यह कहा जा सकता कि दोनों पक्षकारों को सुना गया। साथ ही कानून की मंशा के अनुसार निर्णय नहीं किया गया। फलतः अपील को मियाद बिन्दु पर छूट देते हुए सुना जाना विधिपूर्ण है।

(c) इस मामले में अपीलांट का कथन है कि नक्शें में दर्शाये गये सड़क मार्ग से रास्ता दिया जा सकता हे। इस सम्बन्ध में हम प्रत्यर्थी अधिवक्ता के तर्कों से सहमत है कि उक्त सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग है एवं काश्तकारों को ऐसे राजमार्गो से रास्ता उपलब्ध कराने हेतु धारा 251(क) प्रावधानित नहीं है अपितु खेतों में से होकर गुजरने वाले कटानी रास्तों से ही आत्यन्तिक आवश्कता होने पर अर्थात कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता ना होने पर मार्ग दिया जा सकता है। किन्तु इसके लिए विहित प्रकिया की पालना, पक्षकारों की सुनवाई, तहसीलदार/गिरदावर द्वारा उपस्थिती में स्वयं मौके पर फर्द मौका/नक्शा बनाना होगा जिसके परिशीलन पश्चात ही रास्ता कायम करने का आदेश करे।

(d) उक्त विवेचन से यह निष्कर्ष दिया जाते हुए कि भले ही आत्यान्तिक आवश्यकता की शर्त पूरी हो गई हो व क्षतिपूर्ति दे दी गई हो तो भी प्रकियात्मक कमी के कारण व पक्षकारों की सुनवाई बिना निर्णय देने से अधी. न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण/दूषित हो जाता है।

लिहाजा इस निर्देश के साथ प्रकरण अधी. न्यायालय को लौटाया जाता है कि दोनों पक्षकार अधी. न्यायालय में दिनांक 18-7-19 को उपस्थित हो एवं अधी. न्यायालय सुनवाई करके उक्त विवेचित बिन्दुओं की पालना करवाते हुए 2 माह में विधिवत निर्णय पारित करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अंशतः स्वीकार करते हुए अधी. न्यायालय को निर्देशों की पालना पर निर्णय पारित करने हेतु लौटाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28-6-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर